न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 84/2007 (आरसीएमएस संख्या : 2007/00011)

सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी विनोद कुमार जाटव, जाति–बैरवा, निवासी–तम्बी हाऊस, मालपुरा गेट, सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीया बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 17.09.2019

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चाकसू की आराजी खसरा नम्बर 347/1 रकबा 284 बीघा 17 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2023 में खसरा नम्बर 197 रकबा 285 बीघा 3 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है, इस आराजी में से हाल आराजी खसरा नम्बर 630 रकबा 2.53 हे0 बिना किसी आज्ञा के रामकिशोर पुत्र गोविन्दराम रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री गोविन्दराम, जाति–बैरवा के नाम दर्ज की गई है तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1092 द्वारा शकुन्तला देवी पत्नी विनोद कुमार जाटव के नाम दर्ज की गई है। अप्रार्थी शकुन्तला देवी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में बतौर खातेदार नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1526/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश

Scanned by CamScanner

दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चाकसू की आराजी खसरा नम्बर 347/1 रकबा 284 बीघा 17 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2023 में खसरा नम्बर 197 रकबा 285 बीघा 3 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है, इस आराजी में से हाल आराजी खसरा नम्बर 630 रकबा 2.53 हे0 बिना किसी आज्ञा के रामकिशोर पुत्र गोविन्दराम रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री गोविन्दराम, जाति–बैरवा के नाम दर्ज की गई है तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1092 द्वारा शकुन्तला देवी पत्नी विनोद कुमार जाटव के नाम दर्ज की गई है। अप्रार्थी शकुन्तला देवी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में वतौर खातेदार नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई की नियमों के विपरीत खातेदारी दर्ज की गई है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है। एकीकरण में भी गैर–मुमकीन तालाब दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई भूमि की निजी खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शुन्य है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय

Scanned by CamScanner

सीमा बाधित नहीं है। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 ग्राम चाकसू की आराजी खसरा नम्बर 347/1 रकबा 284 बीघा 17 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2023 में खसरा नम्बर 197 रकबा 285 बीघा 3 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है, इस आराजी में से हाल आराजी खसरा नम्बर 630 रकबा 2.53 हे0 बिना किसी आज्ञा के रामकिशोर पुत्र गोविन्दराम रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री गोविन्दराम, जाति–बैरवा के नाम दर्ज की गई है तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1092 द्वारा शकुन्तला देवी पत्नी विनोद कुमार जाटव के नाम दर्ज की गई है। अप्रार्थी शकुन्तला देवी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में बतौर खातेदार नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को राजस्व अभिलेख में सिवाचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004–2023 से होती है और इस आराजी के खातेदारी के फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी शकुन्तला देवी के नाम दर्ज है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी 2061–2064 से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकिन तलाई की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन तलाई भूमि की खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो

Scanned by CamScanner

जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन तलाई भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी को निजी व्यक्ति के नाम निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन तलाई दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारों को दिनांक 13.11.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 17.09.2019 को सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

Scanned by CamScanner